बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना दिनांक.... 02 02 18

संख्याः—05 / स्था0—110 / 89(पार्ट—II) 817 / विभागीय पत्रांक—1429, दिनांक—04.03.1972, सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या—16412 / 2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत श्री सबल कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, गया को जिला परिवहन पदाधिकारी के कनीय वेतनमान के गैर संवर्गीय पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0—2 ग्रेड पे0—4800 / — में औपबन्धिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है।

2. यह प्रोन्नति एस0एल0पी0(सी0) सं0—29770 / 2015, बिहार सरकार बनाम् सुशील कुमार सिंह एवं अन्य,सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या.... / 2017, श्री अशोक कुमार सिंह बनाम् बिहार राज्य तथा अन्य, सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या.... / 2017, श्री दिवाकर कुमार बनाम् बिहार राज्य तथा अन्य एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या.... / 2017, श्री सत्यानन्द आंजनेय बनाम् बिहार राज्य तथा अन्य में पारित न्यायादेश से प्रभावित होगा।

3. श्री सबल कुमार परिवहन विभाग, बिहार पटना में योगदान देकर अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

4. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विनय कुमार राय)
सरकार के उप सचिव

ईमेल ज्ञापांक—05 / स्था0—110 / 89(पार्ट—II) 817 पटना दिनांक— 02 02 18

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी मोटरयान निरीक्षक / सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक / श्री सबल कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञा0—05 / स्था0—110 / 89(पार्ट—II) 817 पटना दिनांक— 02 02 18

प्रतिलिपिः— अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति के साथ आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि अधिसूचना की सी0डी0 तैयार कर निर्गमन शाखा को उपलब्ध करायें।

सरकार के उप सचिव